शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 51 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 51 अंक – 36 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 31 – 7 सितम्बर 2026 मूल्य पांच रूपये

कैग के कटघरे में सुक्खू सरकार का वित्तीय मॉडल

कर्ज लेकर कर्ज चुकाने की नौबत, 81 प्रतिशत राजस्व वेतन, पेंशन, ब्याज में खर्च

कैग रिपोर्ट में वित्तीय निगरानी पर भी उठे सवाल

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर कैग की 2024 – 25 की रिपोर्ट ने सुक्खू सरकार के सामने बड़ा वित्तीय और राजनीतिक सवाल खड़ा कर दिया है। रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था 9.20 प्रतिशत की दर से बढ़ी, लेकिन राज्य की अपनी आय उस रफ्तार से नहीं बढ़ सकी। टैक्स और गैर – टैक्स राजस्व बजट अनुमानों से पीछे रहे। दूसरी ओर वेतन, पेंशन और ब्याज जैसे प्रतिबद्ध खर्चो का दबाव इतना बढ़ गया कि राजस्व प्राप्तियों का करीब 81 प्रतिशत इन्हीं मदों में चला गया। विकास और कल्याण के लिए करीब 19 प्रतिशत ही उपलब्ध रहा।

कैग की रिपोर्ट ने सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल कर्ज के इस्तेमाल को लेकर खड़ा किया है। वर्ष 2024 – 25 में प्रदेश का राजस्व घाटा 6,805 करोड़ रुपये और राजकोषीय घाटा 12,611 करोड़ रुपये रहा। राजकोषीय घाटा GSDP का 5.44 प्रतिशत था। रिपोर्ट के अनुसार घाटे की भरपाई के लिए लिया जा रहा कर्ज बड़े स्तर पर पुराने कर्ज को चुकाने में इस्तेमाल हो रहा है। यानी नई उधारी से पुरानी देनदारी का भुगतान – ऐसी स्थिति जिसमें नई परिसंपत्तियां बनाने की क्षमता कमजोर पड़ती है। कैग ने इसे कर्ज के जाल की स्थिति पैदा करने वाला बताया है।

यही वह बिंदु है जो सरकार की वित्तीय नीति को राजनीतिक बहस के केंद्र में ला सकता है। यदि उधार का पैसा सड़क, पुल, सिंचाई, बिजली, उद्योग या ऐसी अन्य उत्पादक परिसंपत्तियां बनाने में लगे, जो भविष्य में राज्य के लिए आय पैदा करें, तो कर्ज का आर्थिक औचित्य समझ में आता है। लेकिन पुराने कर्ज की अदायगी के लिए लगातार नई उधारी की जरूरत बढ़ती जाए तो राज्य की वित्तीय गुंजाइश लगातार सिकुड़ती जाती है। कैग ने स्पष्ट तौर पर नए कर्ज को उत्पादक पूंजीगत खर्च तक सीमित करने की सलाह दी है।

प्रदेश की देनदारियों का GSDP की तुलना में बढ़ता अनुपात भी चिंता का विषय है। कैग के मुताबिक यह FRBM Act के निर्धारित लक्ष्यों से ऊपर है और देनदारियां आर्थिक वृद्धि से तेज गति से बढ़ रही हैं। रिपोर्ट ने प्रदेश की वित्तीय स्थिति में संरचनात्मक कमजोरी की ओर इशारा करते हुए कहा है कि राज्य दिन – प्रतिदिन के खर्चो को पूरा करने के लिए भी उधारी के चक्र में फंस रहा है।

सरकार के खर्च की प्राथमिकता पर भी रिपोर्ट सवाल खड़े करती है। प्रदेश का 2024 – 25 का कुल बजट 79,475.53 करोड़ रुपये था, लेकिन वास्तविक खर्च 75,325. 02 करोड़ रुपये हुआ। उपयोग 94. 78 प्रतिशत रहा। कैग ने बड़े स्तर पर बचत को कमजोर बजट योजना और क्रियान्वयन से जोड़ा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूंजीगत खर्च में करीब एक – तिहाई तक विचलन दर्ज हुआ।

ऐसे समय में जब प्रदेश को अपनी आर्थिक क्षमता बढ़ाने के लिए पूंजीगत निवेश की जरूरत है, बजट राशि का समय पर और प्रभावी इस्तेमाल न होना सरकार की कार्ययोजना पर सवाल खड़ा करता है।

वित्तीय अनुशासन की तस्वीर भी सरकार के लिए राहत देने वाली नहीं है। कैग के मुताबिक नौ अनुदानों से जुड़े 16 मामलों में 438.66 करोड़ रुपये बिना बजट प्रावधान के खर्च किए गए। सात अनुदानों और चार विनियोगों में विधानसभा द्वारा अधिकृत राशि से 3,102.88 करोड़ रुपये ज्यादा खर्च किए गए। 13 मामलों में 1,575.44 करोड़ रुपये के अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुए। वहीं 14 योजनाओं में 673.11 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान होने के बावजूद कोई खर्च नहीं हुआ। यानी एक तरफ बिना प्रावधान के खर्च, दूसरी तरफ स्वीकृत बजट खर्च न कर पाना – दोनों स्थितियां वित्तीय प्रबंधन पर सवाल उठाती हैं।

सरकारी निवेश का रिटर्न भी चिंता बढ़ाता है। राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य संस्थाओं में 6,239 करोड़ रुपये लगाए गए, लेकिन इसके मुकाबले केवल 191 करोड़ रुपये का रिटर्न मिला। लाभार्थियों को दिए गए कर्ज की वसूली भी नगण्य रही। कैग ने सार्वजनिक उपक्रमों और स्वायत्त संस्थाओं के प्रदर्शन की समयबद्ध समीक्षा तथा घाटे में चल रही संस्थाओं के पुनर्गठन की जरूरत बताई है।

वित्तीय पारदर्शिता को लेकर भी रिपोर्ट में गंभीर कमियां दर्ज हैं। विभागों द्वारा एकत्र उपकर समय पर सरकारी खाते में जमा न करना, सरकारी धन को ट्रेजरी के बाहर बैंक खातों में रखना, उपयोगिता प्रमाणपत्र लंबित रहना और खातों का समय पर मिलान न होना वित्तीय नियंत्रण की कमजोरी दिखाता है। कैग के अनुसार ऐसी कमियां राज्य की वित्तीय स्थिति की वास्तविक तस्वीर को प्रभावित कर सकती हैं।

अब सरकार के सामने राजनीतिक सवाल यह नहीं है कि कैग ने क्या कहा, बल्कि यह है कि सरकार इन आपत्तियों पर करेगी क्या। कैग ने राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा कम करने के लिए समयबद्ध रोडमैप, पूंजीगत खर्च बढ़ाने, गैर – उत्पादक राजस्व खर्च घटाने, राज्य की अपनी आय बढ़ाने और नए कर्ज को उत्पादक परिसंपत्तियों तक सीमित करने की सिफारिश की है।

हिमाचल प्रदेश में सरकारी पैसे के इस्तेमाल को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। कैग की State Finances Audit Report 2024 – 25 के मुताबिक 31 मार्च 2025 तक सरकार से मिली 3,324. 53 करोड़ रुपये की राशि के कुल 2,521 उपयोग प्रमाणपत्र (UC) लंबित है।

सरल शब्दों में कहें तो सरकार ने अलग – अलग संस्थाओं और विभागों को काम के लिए पैसा दिया, लेकिन उसका कितना पैसा और किस काम पर खर्च हुआ, इसका प्रमाण समय पर सरकार को नहीं दिया गया।

उपयोगिता प्रमाणपत्र यह बताता है कि सरकार से मिला पैसा जिस काम के लिये दिया गया था, उसी काम पर खर्च हुआ या नहीं। इसलिए इतने बड़े स्तर पर यूसी लंबित होना सरकारी धन की निगरानी और जवाबदेही पर सवाल खड़े करता है।

नियम क्या कहता है? हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम – 2009 के Rule 157 के अनुसार अनुदान मिलने के बाद उसे तीन महीने के भीतर खर्च करना होता है। पैसा खर्च होने के बाद उसका ऑडिट किया हुआ उपयोग प्रमाणपत्र छह महीने के भीतर सरकार को देना होता है। साथ ही अगली किस्त जारी होने से पहले भी पिछली राशि का यूसी देना जरूरी है।

इसके बावजूद बड़ी संख्या में यूसी वर्षो से लंबित हैं। कैग ने चेताया है कि यूसी जमा नहीं होने पर यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि सरकारी पैसा वास्तव में सही जगह और तय काम पर खर्च हुआ या नहीं।

रिपोर्ट के अनुसार 2024 – 25 में 19,522 यूसी 5,092.21 करोड़ रुपये की राशि के लिए जमा होने थे। इसके अलावा वर्ष की शुरुआत में 2,990 यूसी 2,795.23 करोड़ रुपये के पहले से लंबित थे। साल के दौरान 19,991 यूसी का निपटारा किया गया, लेकिन इसके बाद भी 2,521 यूसी 3,324.53 करोड़ रुपये के लंबित रह गए।

सबसे ज्यादा लंबित यूसी पांच विभागों से जुड़े हैं। शहरी विकास, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, आयुष और श्रम एवं रोजगार विभागों में कुल 2,915.63 करोड़ रुपये के यूसी लंबित हैं। यह कुल लंबित राशि का करीब 88 प्रतिशत है। कई मामलों में एक से अधिक वित्तीय वर्षो से उपयोगिता प्रमाणपत्र लंबित हैं।

शहरी विकास विभाग की स्थिति सबसे खराब है। यहां 254 यूसी से जुड़े 1,227.03 करोड़ रुपये का हिसाब लंबित है।

कैग ने कहा है कि विभागों को सरकारी पैसे के इस्तेमाल की निगरानी मजबूत करनी होगी और समय पर यूसी लेना सुनिश्चित करना होगा। जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही भी तय करने की जरूरत है। वित्त विभाग ने भी इस समस्या को गंभीर माना है और लंबित यूसी जल्द लेने के लिए कदम उठाने की बात कही है।

इसका मतलब है कि हजारों करोड़ रुपये खर्च होने के बावजूद संबंधित विभागों या संस्थाओं की

शेष पृष्ठ 8 पर.....

32 शिक्षकों को राज्य शिक्षक पुरस्कार, एक को राष्ट्रीय सम्मान

शिमला/शैल। शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने लोक भवन में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में प्रदेश के 32 शिक्षकों को

राज्य शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। इस दौरान वर्ष 2025 के लिए एक शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।

राज्यपाल ने सम्मानित शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों के भविष्य के साथ देश के भविष्य को भी दिशा देते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षक की भूमिका केवल किताबों का ज्ञान देने तक सीमित नहीं है। विद्यार्थियों में संस्कार, अनुशासन, आत्मविश्वास और सही सोच विकसित करना भी शिक्षक की जिम्मेदारी है।

उन्होंने कहा कि विकसित भारत – 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए गुणवत्तापूर्ण और मूल्य आधारित शिक्षा जरूरी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और डिजिटल तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल के दौर में शिक्षकों की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। तकनीक पढ़ाई को आसान बना सकती है, लेकिन शिक्षक का मार्गदर्शन और संस्कार उसकी जगह नहीं ले सकते।

राज्यपाल ने हिमाचल के शिक्षा क्षेत्र में प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण में प्रदेश ने बेहतर प्रदर्शन किया है। आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान में हिमाचल ने राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान हासिल किया है।

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग में 9,000 से अधिक नियुक्तियां की गई हैं और सभी सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम शुरू किया गया है। विद्यार्थियों और शिक्षकों को शैक्षणिक एवं एक्सपोजर विजिट के अवसर भी दिए जा रहे हैं।

तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने सम्मानित शिक्षकों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि उनकी सफलता की कहानियों को दस्तावेज के रूप में तैयार कर दूसरे शिक्षकों के साथ साझा किया जाना चाहिए, ताकि वे भी प्रेरित हो सकें।

समारोह में स्मारिका का विमोचन भी किया गया। स्कूली और कॉलेज विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए।

राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दीं

शिमला/शैल। राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने जन्माष्टमी के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी।

राज्यपाल ने जन्माष्टमी की बधाई देते हुए कहा कि यह पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। उन्होंने कामना की कि यह पर्व सभी के जीवन में खुशियां और ऊर्जा का संचार करेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं और उनके आदर्शों को सभी को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। भगवान श्रीकृष्ण ने समाज को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने और मानव कल्याण के प्रति समर्पित रहने का मार्ग दिखाया है। वर्तमान में भगवत गीता की शिक्षाएं और अधिक प्रासंगिक हैं। उन्होंने कहा कि यह पर्व प्रदेशवासियों के जीवन में समृद्धि और खुशहाली लेकर आएगा।

'एक से श्रेष्ठ' केंद्रों से 12 हजार बच्चे लाभान्वित

शिमला/शैल। 'एक से श्रेष्ठ' पहल ने करीब पांच साल पूरे करते हुए प्रदेश में 650 शिक्षा केंद्रों का आंकड़ा पार कर लिया है। इन केंद्रों से करीब 12 हजार बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने बिलासपुर के आर्ट एंड कल्चर ऑडिटोरियम में आयोजित

कार्यक्रम में इस उपलब्धि के लिए एक्ट टू ट्रांसफार्म फाउंडेशन को बधाई दी।

राज्यपाल ने कहा कि 650 शिक्षा केंद्र केवल एक संख्या नहीं हैं, बल्कि ऐसे स्थान हैं जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ आगे बढ़ने और अपने सपने पूरे करने का अवसर मिल रहा है। उन्होंने कहा कि शहरों के साथ – साथ दूरदराज के गांवों में रहने वाले बच्चों को भी बेहतर शिक्षा के समान अवसर मिलना जरूरी है।

उन्होंने कहा कि शिक्षा समाज में बदलाव लाने का सबसे प्रभावी माध्यम है। बच्चों को केवल स्कूल तक पहुंचाना पर्याप्त नहीं है। उन्हें पढ़ाई के लिए जरूरी सामग्री, मार्गदर्शन और आत्मविश्वास भी देना जरूरी है। उन्होंने फाउंडेशन की ओर से बच्चों को निशुल्क शिक्षा और जरूरी सामान उपलब्ध करवाने की सराहना की।

कार्यक्रम में राज्यपाल ने शिक्षकों को लैपटॉप वितरित किए। उन्होंने शिक्षकों से कहा कि तकनीक का इस्तेमाल बच्चों की पढ़ाई को आसान बनाने और उनकी जरूरत के अनुसार सीखने में मदद करने के लिए किया जाए। बच्चों को स्टडी टेबल, स्कूल बैग, नोटबुक, स्टेशनरी, जूते और ट्रैकसूट भी दिए गए।

राज्यपाल ने बताया कि 'एक से श्रेष्ठ' पहल के तहत 692 लोगों को रोजगार मिला है। इनमें करीब 90 प्रतिशत महिलाएं हैं। कार्यक्रम से करीब 12 हजार परिवारों को शैक्षणिक खर्च में राहत मिली है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार परिवारों ने मिलकर 5.40 करोड़ रुपये से अधिक की बचत की है।

उन्होंने कहा कि 650 केंद्रों तक पहुंचना इस पहल का अंत नहीं, बल्कि आगे के बड़े लक्ष्य की शुरुआत है। उन्होंने शिक्षकों, स्वयंसेवकों, अभिभावकों और फाउंडेशन से जुड़े सभी लोगों को इसके लिए बधाई दी।

इस अवसर पर सांसद अनुराग ठाकुर, विधायक जे.आर. कटवाल, त्रिलोक जम्वाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

'ड्रॉप्स ऑफ चेंज' में जल शक्ति विभाग की 100 सफलता की कहानियां

शिमला/शैल। राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने लोक भवन में जल शक्ति विभाग की पुस्तक 'ड्रॉप्स ऑफ चेंज : इम्पैक्टफुल स्टोरीज ऑफ जल शक्ति डिपार्टमेंट, हिमाचल प्रदेश' का

विमोचन किया। पुस्तक में प्रदेश के अलग – अलग क्षेत्रों में जल सेवाओं से जुड़ी करीब 100 सफलता की कहानियों को शामिल किया गया है।

पुस्तक में पेयजल, सिंचाई, सीवरेज, जल संरक्षण, जल स्रोतों को बचाने, पानी की गुणवत्ता सुधारने और बाढ़ से सुरक्षा के क्षेत्र में किए गए कामों को जगह दी गई है। इसमें जनभागीदारी और नई तकनीक से किए गए कार्यों की भी जानकारी दी गई है।

राज्यपाल ने कहा कि यह पुस्तक हिमाचल की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में लोगों तक पानी की सुविधा पहुंचाने वाले अधिकारियों, इंजीनियरों और कर्मचारियों के प्रयासों को सामने लाती है। उन्होंने कहा कि इसमें केवल सरकारी योजनाओं और आंकड़ों का विवरण नहीं है, बल्कि उन परिवारों, किसानों और समुदायों की कहानियां भी हैं, जिनके जीवन में बेहतर जल सुविधा से बदलाव आया है।

जल शक्ति विभाग के प्रधान सचिव डॉ. अभिषेक जैन ने बताया कि पुस्तक में जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और 'कैच द रेन' अभियान सहित विभिन्न परियोजनाओं के तहत किए गए कार्यों को शामिल किया गया है। बाहरी एजेंसियों की मदद से चल रही परियोजनाओं की सफल पहल भी पुस्तक में दर्ज हैं।

उन्होंने कहा कि पुस्तक का उद्देश्य केवल विभाग की उपलब्धियों को बताना नहीं है। इसमें सफल कार्यों और तरीकों को दर्ज किया गया है, ताकि दूसरे क्षेत्रों में भी उनसे सीख लेकर ऐसे प्रयास दोहराए जा सकें। यह पुस्तक विभाग के प्रशिक्षण और भविष्य की योजनाएं बनाने में भी उपयोगी होगी। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी और जल शक्ति विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

मीडिया देशहित में अपनी जिम्मेदारी निभाए:राज्यपाल

शिमला/शैल। पश्चिम बंगाल के 10 सदस्यीय मीडिया प्रतिनिधिमंडल ने लोक भवन में राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता से मुलाकात की। यह

प्रतिनिधिमंडल भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रेस सूचना ब्यूरो की ओर से आयोजित एक्सपोजर विजिट के तहत हिमाचल प्रदेश आया है।

राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश आर्थिक और रक्षा क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत – 2047 का लक्ष्य सभी वर्गों के सामूहिक प्रयास से ही पूरा हो सकता है और इसमें मीडिया की अहम भूमिका है।

राज्यपाल ने कहा कि मीडिया किसी राजनीतिक दल से जुड़ा नहीं होता, लेकिन देश के प्रति उसकी बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने मीडिया से राष्ट्रहित के खिलाफ काम करने वाली शक्तियों को उजागर करने और लोगों को जागरूक करने का आह्वान किया।

उन्होंने पश्चिम बंगाल की संस्कृति, परंपरा और साहित्यिक विरासत की भी सराहना की। साथ ही स्वतंत्रता संग्राम में बंगाल के लोगों के योगदान को याद किया।

प्रतिनिधिमंडल 31 अगस्त से 6 सितंबर तक हिमाचल के दौरे पर रहा। इस दौरान सदस्यों ने कुल्लू, मनाली और स्पीति का दौरा किया तथा विभिन्न विकास परियोजनाओं और योजनाओं की जानकारी ली। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल के साथ अपने दौरे के अनुभव भी साझा किए।

इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव संदीप भारद्वाज भी मौजूद रहे।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक – बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

शहीदी स्मारक के लिए राज्यपाल ने दिए 5 लाख

शिमला/शैल। राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने हमीरपुर में पूर्व सैनिकों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों से जुड़े कल्याण के मुद्दों की जानकारी भी ली।

सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक

ब्रिगेडियर मदन शील शर्मा ने राज्यपाल को पूर्व सैनिकों के सामने आ रही समस्याओं से अवगत करवाया। उन्होंने हमीरपुर में प्रस्तावित शहीदी स्मारक के निर्माण की स्थिति की जानकारी भी दी।

राज्यपाल ने पूर्व सैनिकों को भरोसा दिया कि उनकी मांगों और समस्याओं को राज्य सरकार के सामने उठाया जाएगा। उन्होंने शहीदी स्मारक के निर्माण के लिए 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की।

राज्यपाल ने स्मारक का निर्माण जल्द पूरा करने पर जोर दिया। उन्होंने सभी सांसदों और विधायकों से भी इसके निर्माण में सहयोग करने की अपील की।

उन्होंने कहा कि शहीदी स्मारक देश के लिए बलिदान देने वाले वीर जवानों की वीरता और सर्वोच्च बलिदान को याद करने का माध्यम होगा। यह स्मारक शहीदों को सम्मान देने के साथ आने वाली पीढ़ियों को भी उनके बलिदान की याद दिलाएगा।

बद्दी में जल्द शुरू होगा आधुनिक हिम-चंडीगढ़ सिटी का निर्माण

शिमला/शैल। चंडीगढ़ के नजदीक बद्दी क्षेत्र में प्रस्तावित हिम-चंडीगढ़ सिटी के निर्माण की प्रक्रिया जल्द शुरू होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने परियोजना की प्रगति की समीक्षा

करते हुए अधिकारियों को जरूरी औपचारिकताएं तेजी से पूरी करने और काम समयबद्ध तरीके से शुरू करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिम-चंडीगढ़ सिटी को आधुनिक और सुनियोजित शहरी केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें आधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ लोगों के लिए जरूरी नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार का लक्ष्य इस क्षेत्र का संतुलित और टिकाऊ विकास करना है।

परियोजना में सरसा नदी के किनारे करीब नौ किलोमीटर लंबे रिवरफ्रंट को भी शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे शहर की सुंदरता बढ़ाने के साथ लोगों को खुले और मनोरंजन के लिए बेहतर सार्वजनिक स्थान उपलब्ध होंगे।

उन्होंने प्रस्तावित शहर के लिए मजबूत सड़क संपर्क विकसित करने पर भी जोर दिया। बेहतर कनेक्टिविटी से शहर तक पहुंच आसान होगी और क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिम-चंडीगढ़ सिटी से क्षेत्र की बढ़ती शहरी जरूरतों को पूरा करने के साथ आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी। इससे हिमाचल के राजस्व में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है।

बैठक में स्वास्थ्य मंत्री धनी राम शांडिल, नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी, हिमुडा उपाध्यक्ष यशवंत छाजटा, विधायक राम कुमार और अजय सोलंकी समेत वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

आईजीएमसी और टांडा में शुरू होगा रेडिएशन थेरेपी कोर्स

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में एलाइड और हेल्थकेयर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईजीएमसी शिमला और डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, टांडा में बैचलर ऑफ रेडिएशन थेरेपी टेक्नोलॉजी पाठयक्रम शुरू किया जाएगा। दोनों संस्थानों में वर्ष 2026-27 से इस पाठयक्रम की शुरुआत होगी और प्रत्येक संस्थान में हर साल 30 सीटें होंगी।

इसके अलावा हमीरपुर में एलाइड एवं स्वास्थ्य सेवा महाविद्यालय स्थापित किया जाएगा। यहां कुल 330 सीटों पर विभिन्न व्यावसायिक पाठयक्रम शुरू होंगे। इनमें बीएससी लेबोरेटरी साइंसेज, रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया, ऑप्टोमेट्री और फिजियोथेरेपी की 60-60 सीटें तथा डायलिसिस टेक्नीशियन की 30 सीटें शामिल हैं। कॉलेज के लिए मशीनरी और उपकरण खरीदने को सरकार ने 6.87 करोड़ रुपये जारी करने का फैसला लिया है।

सरकार के अनुसार इन पाठयक्रमों से प्रदेश में प्रशिक्षित तकनीकी स्वास्थ्य कर्मचारियों की कमी दूर करने में मदद मिलेगी। युवाओं को राज्य में ही विशेषज्ञ प्रशिक्षण मिलेगा और उन्हें पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा।

आईजीएमसी और टांडा में पहले से रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया, लेबोरेटरी और डायलिसिस जैसे पाठयक्रम चल रहे हैं। वर्ष 2025 में इन संस्थानों में कई एलाइड हेल्थकेयर पाठयक्रमों की सीटें भी बढ़ाई गई थीं।

मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं के साथ युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करवाने पर भी जोर दे रही है।

44 इंजीनियरिंग विद्यार्थी जापान रवाना, सीखेंगे नई तकनीक

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के पांच इंजीनियरिंग कॉलेजों के 44 मेधावी विद्यार्थी जापान के शैक्षणिक

भ्रमण पर रवाना हुए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने वर्चुअल माध्यम से विद्यार्थियों को रवाना किया और उन्हें शुभकामनाएं दीं। यह एक्सपोजर टूर 6 से 12 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है।

इस दौरे में 24 छात्र और 20 छात्राएं शामिल हैं। विद्यार्थियों को जापान की आधुनिक तकनीक, शोध और औद्योगिक व्यवस्था को करीब से देखने का मौका मिलेगा। वे टोक्यो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी, जेएएक्सए त्सुकुबा स्पेस सेंटर, साइबरडाइन रोबोटिक्स स्टूडियो, जेएएल एयरोस्पेस फैक्ट्री और क्योसेरा फैक्ट्री सहित कई संस्थानों और उद्योगों का दौरा करेंगे।

विद्यार्थियों को अंतरिक्ष तकनीक, रोबोटिक्स, एयरोस्पेस, आधुनिक विनिर्माण और परिवहन प्रणालियों की जानकारी मिलेगी। साथ ही वे जापान की कार्य संस्कृति, अनुशासन और तकनीकी विकास को भी समझेंगे।

तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने बताया कि जापान दौरे के लिए प्रदेश के पांच इंजीनियरिंग कॉलेजों से करीब 650 आवेदन मिले थे। विद्यार्थियों का चयन मेरिट के आधार पर किया गया। उन्होंने कहा कि जापान तकनीक के क्षेत्र में दुनिया के अग्रणी देशों में है और इस यात्रा से विद्यार्थियों को काफी सीखने का अवसर मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों को वैश्विक अनुभव देने पर जोर दे रही है। इससे पहले स्कूल और आईटीआई विद्यार्थियों को विदेश भेजा गया था। अब चिकित्सा महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को भी विदेश में एक्सपोजर विजिट करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

सहकार सदन के नवीनीकरण पर खर्च होंगे2.85करोड़

शिमला/शैल। मालरोड शिमला स्थित सहकार सदन का अब नए सिरे से कायाकल्प किया जाएगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने इसके

नवीनीकरण कार्य का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास किया। भवन के नवीनीकरण पर 2.85 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुमंजिला भवन को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। नवीनीकरण का काम 15 जून 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। भवन की अलग-अलग मंजिलों को जरूरत के अनुसार व्यवस्थित किया जाएगा।

परियोजना के तहत मेजनाइन फ्लोर पर नए वर्कस्टेशन और केबिन बनाए जाएंगे। ग्राउंड फ्लोर पर नया रिसेप्शन, वर्कस्टेशन और स्क्रीनिंग एरिया तैयार होगा। बेसमेंट-1 में कॉन्फ्रेंस हॉल और वर्कस्टेशन बनाए जाएंगे।

बेसमेंट-2 में बच्चों के लिए क्रैच की सुविधा होगी, जबकि बेसमेंट-3 में आधुनिक सुविधाओं के साथ स्टोरेज की व्यवस्था की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक प्रदेश का प्रमुख सहकारी बैंक है और लोगों को आधुनिक बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवाने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि बैंक की पुरानी शाखाओं और भवनों को भी आधुनिक बनाया जा रहा है।

कार्यक्रम में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी, विधायक संजय अवस्थी और राम कुमार, राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष देविन्द्र श्याम, हिमुडा उपाध्यक्ष यशवंत छाजटा और बैंक के प्रबंध निदेशक विनय सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

लोक अदालतों में 6.81 लाख राजस्व मामलों का निपटारा

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में राजस्व लोक अदालतों के जरिए अब तक करीब 6.81 लाख लंबित राजस्व मामलों का निपटारा किया जा चुका है। इनमें 5.44 लाख से अधिक इंतकाल, 47,333 तकसीम और 63 हजार से अधिक निशानदेही के मामले शामिल हैं। इसके अलावा राजस्व रिकॉर्ड में 26,288 दुरुस्ती के मामले भी निपटाए गए हैं।

सरकार ने लंबित राजस्व मामलों को तेजी से निपटाने के लिए अक्तूबर 2023 से हर महीने के अंतिम दो दिनों में तहसील और उप-तहसील मुख्यालयों पर राजस्व लोक अदालतें शुरू की थीं। इसके बाद जनवरी 2026 से तकसीम और राजस्व दस्तावेजों में सुधार से जुड़े मामलों के लिए हर सप्ताह मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को विशेष राजस्व लोक अदालतें लगाई जा रही हैं।

इन अदालतों का सबसे बड़ा फायदा जमीन से जुड़े मामलों में लोगों को मिल रहा है। खासकर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों के लोगों को पहले छोटे-छोटे राजस्व कार्यों के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। इससे उनका समय और पैसा दोनों खर्च होता था। लोक अदालतों के जरिए मामलों की सुनवाई एक तय मंच पर होने से लोगों को राहत मिल रही है।

सरकार का दावा है कि इस व्यवस्था से राजस्व मामलों की लंबित संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है। साथ ही राजस्व रिकार्ड में गलतियों को ठीक करने और भूमि संबंधी मामलों के समयबद्ध निपटारे में भी मदद मिली है।

मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि भूमि और राजस्व से जुड़े मामले सीधे लोगों और परिवारों के हितों से जुड़े होते हैं। इसलिए सरकार इनका जल्द समाधान सुनिश्चित करने पर जोर दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसी व्यवस्थाओं को आगे भी मजबूत करेगी, ताकि लोगों को अपने वैध कामों के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

हमीरपुर एलाइड एवं हेल्थकेयर कॉलेज में प्रवेश के लिए आवेदन शुरू

शिमला/शैल। एलाइड एवं हेल्थकेयर कॉलेज हमीरपुर में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के चार वर्षीय डिग्री पाठयक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के तहत अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी ने आवेदन की अंतिम तिथि 13 सितंबर 2026 रात 11:55 बजे तय की है। आवेदन में सुधार 14 सितंबर को किया जा सकेगा।

प्रवेश परीक्षा के लिए सामान्य और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को 2,200 रुपये, जबकि एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और आईआरडीपी वर्ग के लिए 1,400 रुपये शुल्क देना होगा। दिव्यांग अभ्यर्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तारीख बाद में घोषित की जाएगी।

कॉलेज में कुल 210 सीटें उपलब्ध हैं। इनमें बैचलर ऑफ एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी की 60, बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी की 60, बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी साइंस की 60 और बैचलर ऑफ डायलिसिस थेरेपी टेक्नोलॉजी की 30 सीटें शामिल हैं।

इनमें 42 इन-सर्विस, 105 सब्सिडाइज्ड और 63 नॉन-सब्सिडाइज्ड सीटें हैं। अभ्यर्थी शिमला, हमीरपुर, मंडी या कांगड़ा में से एक परीक्षा केंद्र चुन सकते हैं। परीक्षा केंद्र का पूरा पता प्रवेश पत्र के साथ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर केंद्र में बदलाव भी किया जा सकता है।

जून 2027 तक परियोजनाएं पूरी करने के निर्देश

शिमला/शैल। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में सिहुंता में विकास कार्यो की समीक्षा बैठक हुई। उन्होंने अधिकारियों को निर्माणाधीन

परियोजनाओं में तेजी लाने और सभी जारी कार्य जून 2027 तक पूरा करने के निर्देश दिए।

उन्होंने बताया कि भटियात में जल शक्ति विभाग के तहत करीब 191 करोड़ और लोक निर्माण विभाग के तहत करीब 141 करोड़ रुपये की परियोजनाएं प्रगति पर हैं। उन्होंने सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य विकास कार्यो को समयबद्ध पूरा करने पर जोर दिया।

पठानिया ने राजकीय महाविद्यालय सिहुंता के करीब 9 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे भवन सहित संयुक्त कार्यालय भवन, परिधि गृह, स्कूल और स्वास्थ्य भवनों के कार्यो की भी समीक्षा की।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का चंबा दौरा जल्द प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री इस दौरान भटियात क्षेत्र में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अधिकारियों को इसके लिए सभी औपचारिकताएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए।

आप कभी नहीं जान सकते कि आपके कार्यों का क्या परिणाम आएगा, लेकिन यदि आप कुछ नहीं करेंगे, तो कोई परिणाम नहीं आएगा। .....महात्मा गांधी

सम्पादकीय

सत्ता बदलती रही कर्ज का मॉडल नहीं बदला

कैग रिपोर्ट का सबसे बड़ा संदेश यह है कि हिमाचल प्रदेश की वित्तीय समस्या अचानक पैदा नहीं हुई। पिछले कई वर्षों में सरकारें जिस तरीके से खर्च, कर्ज और राजस्व का प्रबंधन करती रही हैं, उसने हिमाचल को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है जहां नया कर्ज विकास के लिए कम और पुराने कर्ज तथा ब्याज का बोझ संभालने के लिए ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। यह सिर्फ किसी एक सरकार की विफलता नहीं, बल्कि लगातार चली आ रही उस राजनीतिक अर्थव्यवस्था की नाकामी है जिसमें फैसले तो लिए गए, लेकिन उनकी दीर्घकालिक कीमत पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। आज राज्य की वित्तीय स्थिति पर लगातार दबाव बना हुआ है। सरकार की आय और खर्च के बीच ऐसा संतुलन नहीं बन पा रहा है जिससे कर्ज का बोझ स्थिर हो सके। पुराने दायित्व चुकाने में ही उधार का बड़ा हिस्सा खप रहा है। कर्ज अगर उत्पादक संपत्ति बनाने के बजाये पुराने कर्ज को चुकाने में लगने लगे तो वह विकास का साधन नहीं, आर्थिक जाल बन जाता है।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर लगातार सरकारों ने ऐसी स्थिति बनने क्यों दी? वेतन, पेंशन और ब्याज पर सरकार की आय का बड़ा हिस्सा खर्च हो रहा है। जब इसमें सब्सिडी जैसे कठोर खर्च भी जुड़ते हैं तो विकास के लिए सरकार के पास बहुत सीमित पैसा बचता है। यही कारण है कि पूंजीगत निवेश कमजोर पड़ता है और नई योजनाओं के लिए फिर कर्ज का सहारा लेना पड़ता है।

हिमाचल बिजली राज्य होने के बावजूद इससे राज्य की अपनी आय कितनी मजबूत हुई? बिजली उत्पादन का बड़ा हिस्सा निजी क्षेत्र के हाथ में है। सीमेंट उद्योग राज्य के प्राकृतिक संसाधनों से चलता है, उससे आर्थिक लाभ और स्थानीय रोजगार कितना बढ़ा? पर्यटन हिमाचल की सबसे बड़ी संभावनाओं में है, मगर इसकी अर्थव्यवस्था को भी बड़े पैमाने पर निजी निवेश पर छोड़ दिया गया। सरकारी संस्थान और निगम कमजोर होते गये और रोजगार के लिए आउटसोर्सिंग बढ़ती गई। अगर सरकार के पास संसाधन हैं, जमीन है, पानी है, पर्यटन है और मानव संसाधन है, फिर भी राजस्व बढ़ाने के बजाय कर्ज बढ़ रहा है तो सवाल विकास की दिशा पर उठेगा ही।

राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों की स्थिति भी सरकारों की आर्थिक सोच पर सवाल खड़े करती है। नुकसान में चल रही संस्थाओं की कार्यक्षमता सुधारने, पुनर्गठन करने या आवश्यक होने पर कठोर निर्णय लेने के बजाये उन्हें लंबे समय तक ढोने का मॉडल आखिर कब तक चलेगा?

यहां सरकार बदलने से समस्या अपने आप नहीं बदलेगी। क्या कांग्रेस या भाजपा की पिछली सरकारों ने हिमाचल को कर्ज पर चलने वाली अर्थव्यवस्था से बाहर निकालने के लिए कोई ठोस मॉडल बनाया? क्या राजस्व के नए स्रोत तैयार किए गए? क्या घाटे वाले संस्थानों पर कठोर फैसले हुए? क्या सब्सिडी को राजनीतिक सुविधा के बजाये आर्थिक क्षमता से जोड़ा गया? क्या बिजली, उद्योग और पर्यटन से राज्य की अपनी आय बढ़ाने की रणनीति बनी?

अब सत्ता में रही हर सरकार हिसाब जनता को देने का समय आ गया है कि उसके कार्यकाल में कर्ज के बदले प्रदेश को कौन-सी स्थायी संपत्ति बनी, कितनी योजनाओं ने आय पैदा की और कितने सरकारी निवेश ने वास्तव में राज्य की वित्तीय ताकत बढ़ाई।

हिमाचल का कर्ज कम करने के लिए सरकारों को खर्च की प्राथमिकताएं बदलनी होंगी, गैर-उत्पादक व्यय पर लगाम लगानी होगी, सरकारी संस्थानों की जवाबदेही तय करनी होगी और बिजली, पर्यटन, उद्योग, खनन तथा अन्य संसाधनों से मिलने वाली आय को मजबूत करना होगा। सरकार को नई घोषणायें करने से ज्यादा ऐसी आर्थिक व्यवस्था बनानी होगी जो घोषणाओं का खर्च खुद उठा सके। सवाल सिर्फ आज की सरकार से नहीं, उन सभी सरकारों से है जिन्होंने वर्षों तक कर्ज को आसान रास्ता और आर्थिक सुधार को कठिन रास्ता माना। कर्ज लेकर सरकार चलाना शासन हो सकता है, लेकिन आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था नहीं।

अवैध धार्मिक स्थलों के विरुद्ध कानूनी कारवाई : इस्लामिक शिक्षा बनाम न्यायिक दृष्टिकोण

गौतम चौधरी

राजस्थान के सीमावर्ती जिलों और देश के कुछ अन्य हिस्सों में हाल के विध्वंस अभियानों ने एक महत्वपूर्ण कानूनी, सामाजिक और धार्मिक बहस को जन्म दिया है। कुछ मुस्लिम संगठनों का आरोप है कि इन कारवाइयों में मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों को निशाना बनाया गया है। दूसरी ओर, राज्य सरकार का कहना है कि कारवाई धार्मिक पहचान के आधार पर नहीं, बल्कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण, अवैध निर्माण और संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण की जा रही है। ऐसे संवेदनशील विषय पर भावनात्मक निष्कर्षों के बजाय कानून, न्यायिक प्रक्रिया और संबंधित धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर विचार करना अधिक उचित होगा।

इस संदर्भ में थोड़ी पड़ताल जरूरी है। 11 जुलाई 2026 को जयपुर में एक मुस्लिम स्वैच्छिक संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट में दावा किया गया कि बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर जैसे सीमावर्ती जिलों में 50 से अधिक मुस्लिम धार्मिक संरचनाओं को विध्वंस के नोटिस दिए गए हैं और कम से कम सात संरचनाओं के विरुद्ध कारवाई की जा चुकी है। रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया कि कुछ मामलों में प्रभावित पक्षों को जवाब देने के लिए केवल 24 घंटे का समय दिया गया।

राज्य प्रशासन ने इन आरोपों के बीच कार्रवाई को नियमित अतिक्रमण विरोधी अभियान बताया है। सरकार के अनुसार, कई संरचनाएं सरकारी भूमि, सार्वजनिक रास्तों अथवा ऐसी भूमि पर बनी थीं, जिनके संबंध में वैध स्वामित्व, निर्माण अनुमति या आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे।

राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी अंतरराष्ट्रीय सीमा से 50 किलोमीटर के भीतर प्रस्तावित विध्वंस पर व्यापक रोक लगाने से इनकार करते हुए मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े पहलुओं को महत्वपूर्ण माना है।

इस मामले में कानून क्या कहता है? किसी धार्मिक स्थल का होना अपने आप में उसे कानून से ऊपर नहीं रखता। यदि कोई निर्माण अवैध भूमि पर है अथवा आवश्यक अनुमति के बिना किया गया है, तो राज्य कानून के अनुसार कारवाई कर सकता है। प्रश्न यह है कि ''कारवाई किस प्रक्रिया के तहत की जा रही है।''

नोटिस, जवाब देने का पर्याप्त अवसर, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निष्पक्ष विचार और न्यायिक उपचार की उपलब्धता प्राकृतिक न्याय के महत्वपूर्ण तत्व हैं। विशेष रूप से धार्मिक स्थलों से जुड़े मामलों में प्रशासनिक कारवाई ऐसी होनी चाहिए जिसमें पारदर्शिता और समानता स्पष्ट दिखाई दे।

राष्ट्रीय सुरक्षा निश्चित रूप से राज्य का महत्वपूर्ण दायित्व है। फिर भी सुरक्षा के नाम पर की जाने वाली कारवाई भी कानून के दायरे में ही होनी चाहिए। इसी प्रकार यदि किसी समुदाय को यह आशंका हो कि कानून का इस्तेमाल उसके धार्मिक स्थलों को चुनिंदा रूप से निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है तो उस आशंका का समाधान भी पारदर्शी और समान प्रवर्तन से ही संभव है।

अब इस मामले में इस्लामिक दृष्टिकोण पर भी थोड़ी चर्चा जरूरी है। इस मामले में बरेलवी फिरके से जाने-माने विद्वान मुफ्ती तुफैल खान कादिरी साहब का कहना है, ''निसंदेह इस्लाम धार्मिक संस्थानों की स्थापना को पुण्य का कार्य मानता है, परंतु पुण्य के उद्देश्य के लिए भी अन्यायपूर्ण साधनों को उचित नहीं ठहराता।''

मुफ्ती साहब फरमाते हैं, ''कुरान-ए-पाक कहता है- '-एक-दूसरे की संपत्ति को अन्यायपूर्वक न खाओ।'' (सूरह अन-निसा, 4:29) इसी प्रकार पैगंबर मुहम्मद की हदीस में दूसरे व्यक्ति की भूमि पर अवैध कब्जे के विरुद्ध कठोर चेतावनी दी गई है। इसका मूल संदेश स्पष्ट है कि किसी दूसरे के अधिकार अथवा संपत्ति का अतिक्रमण धार्मिक उद्देश्य से भी जायज़ नहीं हो जाता।''

मुफ्ती साहब का कहना है, ''कुरान विश्वासियों को अपने दायित्वों को पूरा करने का आदेश देता है-''अपने वादों को पूरा करो'' (सूरह अल-मायदा, 5:1)। वहीं सूरह अल-बकराह (2:282) में लेन-देन को लिखित रूप में दर्ज करने की व्यवस्था पर जोर दिया गया है।''

इन सिद्धांतों को व्यापक अर्थ में देखें तो मस्जिद, मदरसा, दरगाह अथवा किसी अन्य धार्मिक संस्था के लिए ''वैध भूमि, स्पष्ट स्वामित्व, उचित दस्तावेज और आवश्यक अनुमतियां'' सुनिश्चित करना धार्मिक जिम्मेदारी के भी अनुकूल है।

इस्लामिक विद्वानों का साफ तौर पर कहना है, ''इस्लामी परंपरा का एक महत्वपूर्ण नैतिक सिद्धांत यह भी है कि नेक उद्देश्य के लिए भी अनुचित साधनों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए धार्मिक आस्था और कानून के पालन को परस्पर विरोधी मानने के बजाये उन्हें साथ लेकर चलना अधिक संगत दृष्टिकोण है।''

अब थोड़ी चर्चा राज्य सरकार के दायरे की भी करना ठीक रहेगा। इस पूरे विवाद में जिम्मेदारी केवल राज्य की नहीं है। राज्य का दायित्व है कि अतिक्रमण विरोधी कारवाई ''धर्मनिरपेक्ष, समान और पारदशह तरीके से'' करे। यदि कोई संरचना अवैध है तो कारवाई का आधार उसका धार्मिक स्वरूप नहीं, बल्कि उसका कानूनी दर्जा होना चाहिए। साथ ही प्रभावित लोगों को कानून के अनुरूप पर्याप्त सुनवाई और न्यायिक उपचार का अवसर मिलना चाहिए।

दूसरी ओर, धार्मिक संस्थानों के प्रबंधकों और संबंधित संगठनों की भी जिम्मेदारी है कि वे भूमि के स्वामित्व, वक्फ अथवा दान, निर्माण अनुमति और अन्य आवश्यक दस्तावेजों को व्यवस्थित और अद्यतन रखें। धार्मिक आस्था कानून से टकराव का आधार नहीं, बल्कि न्याय, ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ उसके पालन की प्रेरणा बन सकती है।

अंत में, राजस्थान के हालिया धार्मिक ढांचों के विध्वंस और अतिक्रमण उन्मूलन अभियानों को केवल ''धार्मिक कारवाई'' अथवा केवल ''अतिक्रमण विरोधी अभियान'' के रूप में देखना इस जटिल विषय को अत्यधिक सरल बना देना होगा। एक लोकतांत्रिक राज्य में ''कानून सर्वोपरि है'', पर कानून का प्रवर्तन भी कानून सम्मत प्रक्रिया के साथ होना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा महत्वपूर्ण है, धार्मिक स्वतंत्रता भी संवैधानिक मूल्य है और प्राकृतिक न्याय दोनों के बीच आवश्यक संतुलन स्थापित करता है।

इसी तरह इस्लामी शिक्षाओं का मूल संदेश भी अधिकारों की रक्षा, अमानतदारी, न्याय और अनुबंधों के पालन पर जोर देता है। इसलिए धार्मिक संस्थाओं के लिए वैध भूमि और कानूनी दस्तावेज सुनिश्चित करना तथा राज्य द्वारा निष्पक्ष और समान कानूनी प्रक्रिया अपनाना-दोनों एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि ''कानून के शासन, धार्मिक सद्भाव और सामाजिक विश्वास को मजबूत करने वाले समानांतर दायित्व'' हैं।

सेवा, शौर्य और सम्मान की परंपरा को संबल दे रही राज्य सरकार

प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से 1.33 लाख पूर्व सैनिक हो रहे लाभान्वित

शिमला। हिमाचल की पहाड़ियों से निकलने वाली कई राहें देश की सीमाओं तक जाती हैं। इन राहों पर चलकर प्रदेश की पीढ़ियों ने राष्ट्रसेवा को अपना जीवन–धर्म बनाया है। यहां सेना में जाना केवल नौकरी पाना नहीं, बल्कि परिवार और समाज की उस गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाना है, जिसमें साहस, अनुशासन और देश के प्रति समर्पण सबसे ऊपर हैं। कांगड़ा और मंडी से लेकर शिमला, कुल्लू और प्रदेश के दूर–दराज के इलाकों तक सैन्य सेवा हिमाचल की पहचान का ऐसा हिस्सा है, जिसे पीढ़ियां गर्व के साथ आगे बढ़ाती रही हैं।

इस परंपरा की असली तस्वीर उन वीरता पुरस्कारों में दिखाई देती है, जो हिमाचल के वीर सपूतों को राष्ट्र की रक्षा में उनके अदम्य साहस के लिए मिले हैं। प्रदेश के नाम अब तक 1,252 वीरता पुरस्कार दर्ज हैं। इनमें कांगड़ा के मेजर सोमनाथ शर्मा का नाम विशेष गौरव के साथ लिया जाता है। वे देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले वीर सैनिक थे। हिमाचल की वीरता की इस गौरवगाथा में चार परमवीर चक्र, दो अशोक चक्र, 10 महावीर चक्र, 25 कीर्ति चक्र, 58 वीर चक्र, 102 शौर्य चक्र और 1,051 अन्य आर्मी मेडल शामिल हैं। ये आंकड़े केवल सम्मानों की सूची नहीं हैं, इनके पीछे देश की रक्षा में समर्पित जीवन, अदम्य साहस और असंख्य परिवारों का गर्व जुड़ा है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में वर्तमान राज्य सरकार पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों के परिवारों के कल्याण को प्राथमिकता दे रही है। प्रयास यह है कि जिन लोगों ने देश की सुरक्षा में अपना महत्वपूर्ण समय और जीवन दिया, उन्हें घर लौटने के बाद भी सुरक्षा, सम्मान, रोजगार और अवसरों का भरोसा मिले।

सेना से सेवानिवृत्ति के बाद जीवन की दूसरी पारी शुरू होती है। इस पारी में सैनिक के पास वर्षों का अनुभव, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और कठिन परिस्थितियों में निर्णय लेने की क्षमता होती है। इन खूबियों को अवसर में बदलने के लिए प्रदेश सरकार ने सरकारी सेवाओं में पूर्व सैनिकों के लिए 15 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है। यह आरक्षण क्लास–क्लास–, क्लास–और क्लास–के सरकारी पदों में उपलब्ध है। इसके साथ ही सैनिक कल्याण विभाग के तहत विशेष रोजगार प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है, जो पूर्व सैनिकों को उपयुक्त रोजगार तलाशने में सहायता करता है। यानी सैन्य सेवा में अर्जित अनुभव को सेवानिवृत्ति के साथ समाप्त नहीं, बल्कि नई भूमिका में उपयोगी बनाने की कोशिश है।

जिन परिवारों ने देश के लिए अपने सबसे प्रिय सदस्य को खोया है, उनके लिए यह जिम्मेदारी और भी संवेदनशील हो जाती है। युद्ध विधवाओं और उनके परिवारों को विभिन्न आवश्यकताओं के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। युद्ध विधवा की बेटी के विवाह के लिए 50,000 रुपये की सहायता भी इसी व्यवस्था का हिस्सा है। यह आर्थिक मदद उस परिवार के लिए सहारे का एक माध्यम है, जिसने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने घर का एक सदस्य खोया है।

देशसेवा की इस लंबी परंपरा में उन बुजुर्ग सैनिकों को भी सम्मान के साथ याद रखा गया है, जिन्होंने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सेवा दी। गैर–पेंशनभोगी पूर्व सैनिकों को 10,000 रुपये प्रतिमाह वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है, जबकि उनकी विधवाओं को 5,000 रुपये प्रतिमाह की सहायता मिलती है। इसी तरह, आपातकाल के दौरान सेवा देने वाले सैनिकों के माता–पिता को 7,000 रुपये प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह उन पीढ़ियों के योगदान को सम्मान देने का प्रयास है, जिनकी सेवा की कहानी आज की सैन्य परंपरा की नींव का हिस्सा है।

युद्ध या सैन्य सेवा के दौरान किसी सैनिक को दिव्यांगता का सामना करना पड़े, तो उसकी जरूरतें भी सामान्य से अलग होती हैं। हिमाचल के पात्र दिव्यांग सैनिक, जो एसएएस नगर, मोहाली और किक, पुणे स्थित पैराप्लेजिक पुनर्वास केंद्रों में रह रहे हैं, उन्हें एक लाख रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसी तरह, सेवारत सैनिक की अचानक मृत्यु से परिवार पर आने वाले आर्थिक संकट में भी राज्य की सहायता उपलब्ध है। राज्य ध्वज दिवस कोष से परिजन को 15,000 रुपये की सहायता दी जाती है, जबकि राज्य पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास कोष के तहत विभिन्न योजनाओं में 50,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

किसी सैनिक परिवार के लिए भविष्य की सबसे मजबूत उम्मीद उसके बच्चों की शिक्षा होती है। इसलिए कलम और किताब भी सैनिक कल्याण की इस तस्वीर का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। पात्र विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर अध्ययन, पॉलीटेक्निक, कृषि, एमबीबीएस, इंजीनियरिंग और अन्य शैक्षणिक एवं व्यावसायिक पाठयक्रमों के लिए 500 रुपये से 1,000 रुपये प्रतिमाह तक छात्रवृत्ति दी जाती है। यह सहायता केवल पढ़ाई का खर्च उठाने तक सीमित नहीं है यह उन बच्चों के लिए आगे बढ़ने का अवसर है, जिनके परिवार ने देशसेवा की परंपरा में अपना योगदान दिया है।

वीरता का सम्मान भी अपनी जगह कायम है। असाधारण साहस दिखाने वाले वीरता पुरस्कार विजेताओं को एकमुश्त 30 लाख रुपये तक की वित्तीय अनुदान राशि दी जाती है। वहीं, विशिष्ट सेवा पुरस्कार विजेताओं को 3,000 रुपये से 17,000 रुपये तक के वित्तीय लाभ प्रदान किए जाते हैं। वीरता पुरस्कार विजेताओं, उनकी विधवाओं और पात्र विधवाओं को हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में प्रदेश के भीतर निशुल्क बस–पास सुविधा भी उपलब्ध है। इस तरह सम्मान केवल पदक और प्रशस्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सैनिक और उसके परिवार के जीवन में प्रत्यक्ष सहायता का रूप भी लेता है।

हिमाचल प्रदेश में 1,33,557 पूर्व सैनिक, 40,004 सैन्य विधवाएं और 991 युद्ध विधवाएं हैं। ऐसे में सैनिकों के सम्मान के साथ उनके परिवारों के सुरक्षित और सम्मानजनक भविष्य की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार की है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल सरकार इस दिशा में लगातार प्रयास कर रही है, ताकि पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को सम्मान के साथ अवसर, सुरक्षा और सहयोग मिल सके। क्योंकि सच्चा सम्मान केवल वीरता को सलाम करना नहीं, बल्कि सैनिक की सेवा के बाद उसके परिवार को मजबूत सहारा देना है।

अनाथ व बेसहारा को जेब खर्च, पढ़ाई और अपना घर मुख्यमंत्री सुख–आश्रय योजना से हुआ संभव

करसोग उपमंडल के 23 लाभार्थियों को घर बनाने के लिए तीन लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता

शिमला। जीवन में माता–पिता का साया उठ जाना किसी भी बच्चे के लिए सबसे बड़ा दुःख होता है। ऐसे बच्चों के सामने शिक्षा, पालन–पोषण, आर्थिक सुरक्षा और भविष्य की चिंता एक साथ खड़ी हो जाती है। लेकिन, राज्य सरकार की मुख्यमंत्री सुख–आश्रय योजना ने ऐसे बच्चों के जीवन में नई उम्मीद जगाई है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में शुरू की गई यह योजना आज हजारों बच्चों के लिए केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि परिवार रूपी सहारा बनकर उनके जीवन को नई दिशा दे रही है।

मुख्यमंत्री सुख–आश्रय योजना के माध्यम से प्रदेश सरकार अनाथ एवं बेसहारा बच्चों की शिक्षा, उच्च अध्ययन, जेब खर्च, कौशल विकास तथा आत्मनिर्भर भविष्य की जिम्मेदारी निभा रही है। इतना ही नहीं, जिनके पास अपना घर नहीं है, उन्हें सरकार घर निर्माण के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवा रही है, ताकि वे सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें।

करसोग उपमंडल में योजना के अंतर्गत 23 पात्र लाभार्थियों को अपने घर के निर्माण के लिए कुल तीन लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। यह राशि 4 किस्तों में दी जाती है। उपमंडल के सभी पात्र लाभार्थियों को घर बनाने के दो किस्त प्रदान कर दी गई हैं। यह आर्थिक सहायता केवल मात्र ईंट और सीमेंट का खर्च नहीं, बल्कि उन बच्चों के सपनों की मजबूत नींव है, जिन्होंने कभी अपना घर होने की कल्पना भी दूर की कौड़ी लगती थी। घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता पाने वालों में चमन लाल, ब वी, पीताम्बर, उत्तम चंद, पूनम शर्मा, अनु कुमारी, देशराज, मनीष खन्ना, भूपेंद्र कुमार, राजेंद्र, जगदीश, मोनिका, बृज लाल, सुनील दत्त, दिनेश कुमार, संजीव कुमार, संजय कुमार, पुष्पराज, दिनेश, यशवंत, हिम चंद, मनीष कुमार, ललित कुमार शामिल हैं।

लाभार्थी मनीष कुमार ने बताया कि पहले लगता था कि हमारा भविष्य अंधकारमय है। लेकिन, राज्य सरकार की सुख–आश्रय योजना ने पढ़ाई की चिंता दूर की, जेब खर्च दिया और अब अपना घर बनाने में भी सहायता दी है। अब हमें महसूस होता है कि हम अकेले नहीं हैं। इस योजना को लाने के लिए हम मुख्यमंत्री और सुक्खू सरकार के सदैव आभारी रहेंगे।

लाभार्थी संजय कुमार ने बताया कि सोचा नहीं था कि हमारा भी अपना घर होगा। सुख–आश्रय योजना ने हमारे जीवन में नई उम्मीद जगाई है। इस योजना को शुरू करने के लिए हम राज्य सरकार के धन्यवादी हैं।

पिताम्बर सहित अन्य लाभार्थियों ने बताया कि राज्य सरकार ने उन्हें केवल आर्थिक सहायता ही नहीं दी, बल्कि परिवार जैसा अपनापन भी दिया है। शिक्षा, जेब खर्च और घर निर्माण की सुविधा मिलने से अब वे आत्मविश्वास के साथ अपने उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं।

उन्होंने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू और प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा, यह योजना हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सरकार ने हमारे जीवन में खुशियां लौटाई हैं। हमें पढ़ने, आगे बढ़ने और सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर मिला है। इसके लिए हम मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार का हृदय से धन्यवाद करते हैं। हम मेहनत से पढ़ाई करेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे और समाज के जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपनी पहचान बनाएंगे।

मुख्यमंत्री सुख–आश्रय योजना समाज के सबसे जरूरतमंद बेसहारा व अनाथ बच्चों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। राज्य सरकार इन बच्चों के लिए अभिभावक की भूमिका निभा रही है। शिक्षा से लेकर जेब खर्च, उच्च शिक्षा और घर निर्माण तक हर स्तर पर सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है, ताकि कोई भी बच्चा संसाधनों के अभाव में अपने सपनों से समझौता न करे। करसोग उपमंडल में योजना का प्रभाव धरातल पर दिखाई दे रहा है और लाभार्थियों के जीवन में आत्मविश्वास तथा सुरक्षा की भावना बढ़ी है।

मुख्यमंत्री सुख–आश्रय योजना आज यह संदेश दे रही है कि संवेदनशील शासन केवल योजनाएं नहीं बनाता, बल्कि जरूरतमंदों के जीवन में वास्तविक परिवर्तन भी लाता है। करसोग में योजना के सकारात्मक परिणाम इस बात का प्रमाण हैं कि जब सरकार अभिभावक बनकर साथ खड़ी होती है, तब कठिन परिस्थितियों में भी बच्चों के सपनों को नई उड़ान मिलती है। यह योजना न केवल उनका वर्तमान सुरक्षित कर रही है, बल्कि उनके भविष्य को भी आत्मविश्वास, सम्मान और नई संभावनाओं से भर रही है।

एकल नारियों के पक्के आशियाने का सपना हुआ साकार

लाभार्थी बोलीं, गरीबा रे कठे खरी स्कीमा चलाई री... सरकारा रा बड़ा धन्यावाद

शिमला/शैल। 'आस्सा गरीबा जो रहणा पौणा था इन्हां टापरूआ अंदर हे, ये ता सरकारा रा धन्यावाद जे इन्हें आसा रे कठे ऐहड़ी खरी स्कीमा चलाई री।' यह कहना है सियूंह गांव की पदमा देवी का। दशकों पहले पति को खो चुकीं पदमा ने जैसे–तैसे बच्चों का पालन–पोषण तो कर लिया, लेकिन एक अदद पक्का मकान उनको नसीब नहीं हो पा रहा था। ऐसे में उनके सपनों को साकार करने में सहारा बनी 'सुक्खू सरकार' की मुख्यमंत्री विधवा, एकल, निराश्रित, दिव्यांग महिला आवास योजना। योजना के तहत प्राप्त सहायता राशि से पदमा देवी के पक्के मकान का सपना पूरा हुआ है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के संवेदनशील नेतृत्व में राज्य सरकार के अथक प्रयासों से प्रदेश की एकल नारियों को इस योजना के तहत पक्के आशियाने उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। मनरेगा में 100 दिन का कार्य पूरा करने वाली पात्र महिलाओं को इस आवास योजना के तहत हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य कामगार कल्याण बोर्ड के माध्यम से मकान निर्माण के लिए तीन लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।

'जीवन के कठिन दौर में राज्य सरकार से मिला संबल'

पधर तहसील के गांव सियूंह की पदमा देवी बताती हैं कि वर्ष 2007 में पति के निधन के बाद जब उनके बच्चे छोटे थे, तभी से परिवार की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। उन्होंने खेती–बाड़ी की, घरेलू सब्जियां उगाई और नारला में इन्हें बेचकर परिवार का गुजारा किया। इसके साथ–साथ वह मनरेगा में भी काम करती रहीं। वर्षों तक उनका परिवार कच्चे मकान में रहने को मजबूर था।

मनरेगा में काम करते हुए उन्हें आवास योजना की जानकारी मिली। कामगार कल्याण बोर्ड में आवेदन के बाद उन्हें मकान बनाने के लिए तीन लाख रुपये की सहायता राशि स्वीकृत हुई। दो किस्तें मिलने के बाद उनके मकान का स्लैब तैयार हो चुका है। अब अंतिम किस्त मिलने पर मकान का शेष निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा।

पदमा देवी कहती हैं कि जीवन के कठिन दौर में राज्य सरकार की ओर से मिली यह सहायता उनके लिए बहुत बड़ा संबल बनी है। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू का धन्यवाद करते हुए कहा कि इस योजना से उनके जैसे अनेक एकल परिवारों को अपने पक्के घर का सपना पूरा करने की उम्मीद जगी है।

'टपकती छत से मिला छुटकारा, पक्के आशियाने तक पहुंची कुसमा देवी'

पधर तहसील के ही गांव सुराहन की कुसमा देवी के पति का वर्ष 2024 में निधन हो गया था। दो बच्चों की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। परिवार की जरूरतें पूरा करने के लिए कुसमा मनरेगा में कार्य करती रही हैं। वे बताती हैं कि पहले उनका मकान कच्चा था और बारिश में छत टपकने से उसमें रहना काफी कठिन था। मनरेगा में काम करने के दौरान उन्होंने कामगार कल्याण बोर्ड में आवास निर्माण के लिए आवेदन किया और उन्हें तीन लाख रुपये की राशि स्वीकृत हुई। अब तक उन्हें दो किस्तें मिल चुकी हैं, जिससे मकान का स्लैब डाल दिया है। तीसरी किस्त के उपरांत वे शेष कार्य पूरा कर लेंगी।

कुसमा देवी भावुक होकर कहती हैं कि राज्य सरकार की इस सहायता से उनके परिवार को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन की उम्मीद जगी है। इसके लिए वे मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की सदैव आभारी रहेंगी।

जिला में 16 एकल नारियों के बन रहे अपने आशियाने'

जिला मंडी में इस योजना के तहत 16 एकल नारियों के लिए 3–3 लाख रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। इनमें से चार महिलाओं को दो–दो किस्तें मिल चुकी हैं, जबकि 12 महिलाओं को 15 अगस्त, 2026 को पहली किस्त प्रदान की गई है। इस योजना ने इन महिलाओं के जीवन में उम्मीद की नई किरण जगाई है और कच्चे मकान से पक्के आशियाने की ओर उनका स्वप्निल सफर अब साकार हो रहा है।

मुख्यमंत्री विधवा, एकल, निराश्रित, दिव्यांग महिला आवास योजना इन महिलाओं के लिए सिर्फ मकान बनाने की आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत है। मुख्यमंत्री के प्रयासों से आज इन महिलाओं के कच्चे आशियाने पक्के घर में बदल रहे हैं और उनके जीवन में उम्मीदों का नया उजाला फैल रहा है।

दो लाख गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली और आर्थिक मदद

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि कल्याणकारी

योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने यह बात हिमाचल प्रदेश राजपूत कल्याण बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार 2 अक्तूबर से 'मुख्यमंत्री का अपना परिवार सुखी परिवार योजना' शुरू करने जा रही है। इसके तहत प्रदेश के करीब 2 लाख अतिनिर्धन परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। इसके साथ महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। इनमें करीब 90 हजार ऐसे परिवार हैं, जिन्हें अब तक किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला है।

उन्होंने कहा कि सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 80 रुपये, मक्की का 50 रुपये और कच्ची हल्दी का 150 रुपये प्रति किलो तय किया गया है। पहली बार अदरक के लिए भी 30 रुपये प्रति किलो समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। दूध की खरीद गाय के लिए 61 और भैंस के लिए 71 रुपये प्रति लीटर की दर से हो रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए डॉ. वाईएस परमार विद्यार्थी ऋण योजना के तहत एक प्रतिशत ब्याज पर 20 लाख रुपये तक का ऋण दिया जा रहा है। योजना के लिए परिवार की सालाना आय सीमा 4 लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दी गई है।

विधवा और दिव्यांग माता-पिता के बच्चों की पढ़ाई के लिए इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना भी शुरू की गई है। इसके तहत पात्र बच्चों को 18 वर्ष तक हर महीने 1000 रुपये दिए जा रहे हैं। 18 से 27 वर्ष तक की उम्र में उच्च शिक्षा का खर्च भी सरकार उठाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि होम स्टे योजना में ग्रामीण क्षेत्रों को 4, शहरी क्षेत्रों को 3 और जनजातीय क्षेत्रों को 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जा रहा है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है।

बैठक में उप-मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया, मुख्य सचिव के. के. पंत और बोर्ड के सदस्य व वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

जल संरक्षण के लिए जनभागीदारी जरूरी:अग्निहोत्री

शिमला/शैल। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय की ओर से आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय

जल सुरक्षा शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुए सम्मेलन में देश में जल सुरक्षा, जल संरक्षण और पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने पर चर्चा हुई।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण आज देश की बड़ी प्राथमिकता है। हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में प्राकृतिक जल स्रोतों को बचाना, पेयजल योजनाओं को मजबूत करना और जल संसाधनों का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन करना जरूरी है।

उन्होंने कहा कि जल संरक्षण को केवल सरकारी कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। इसे जनभागीदारी से जोड़कर बड़े जन अभियान का रूप देना होगा। केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल तथा अलग-अलग राज्यों में किए जा रहे सफल कार्यों को साझा करने से जल संकट से निपटने में मदद मिल सकती है।

अग्निहोत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन और मौसम में हो रहे बदलावों के कारण आने वाले समय में पानी की चुनौती और बढ़ सकती है। ऐसे में जल स्रोतों के संरक्षण के लिए लंबे समय की योजना बनाना जरूरी है। इसके साथ ही जल प्रबंधन में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल भी बढ़ाना होगा।

150 सीबीएसई स्कूलों में दिन में तीन बार लगेगी हाजिरी

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के 150 सीबीएसई स्कूलों में अब शिक्षकों और विद्यार्थियों की दिन में तीन बार उपस्थिति दर्ज की जाएगी। स्कूल पहुंचने

के समय, लंच ब्रेक और छुट्टी के समय हाजिरी लगाना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने शिक्षा विभाग की बैठक में इस व्यवस्था को लागू करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि तीन बार उपस्थिति दर्ज करने का उद्देश्य स्कूलों में शिक्षकों और विद्यार्थियों की नियमित मौजूदगी सुनिश्चित करना है। इससे स्कूलों में पढ़ाई और अनुशासन की व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

इन स्कूलों में शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए अलग-अलग ड्रेस कोड भी लागू किया जाएगा। शिक्षकों के लिए निर्धारित ड्रेस कोड 1 अक्तूबर 2026 से अनिवार्य होगा। ड्रेस खरीदने के लिए प्रत्येक शिक्षक को एकमुश्त 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म को लेकर सरकार अगले एक सप्ताह में फैसला लेगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि 150 सीबीएसई स्कूलों में करीब 1,200 शिक्षकों की नियुक्ति पहले ही की जा चुकी है। आने वाले समय में और शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। सरकार का कहना है कि इन स्कूलों के माध्यम से खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को उनके घर के नजदीक बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है।

सीबीएसई स्कूलों की सुविधाओं और शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार 80 करोड़ रुपये अतिरिक्त उपलब्ध करवाएगी। इस राशि से स्कूलों में जरूरी सुविधाएं मजबूत करने और बेहतर शैक्षणिक माहौल तैयार करने पर जोर रहेगा।

मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को इन फैसलों को प्रभावी तरीके से लागू करने और स्कूलों की व्यवस्था में लगातार सुधार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर समेत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जनगणना का दूसरा चरण शुरू

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जनगणना के दूसरे चरण का काम 1 सितंबर से शुरू हो गया है। यह अभियान 30 सितंबर 2026 तक चलेगा। इस दौरान प्रगणक घर-घर जाकर लोगों से जानकारी जुटाएंगे।

जनगणना विभाग के अनुसार, इस चरण में पूरी तरह और आंशिक रूप से बर्फबारी वाले क्षेत्रों को शामिल किया गया है। शिमला, किन्नौर और लाहौल-स्पीति पूरी तरह बर्फबारी वाले क्षेत्र हैं। वहीं चंबा, कुल्लू, कांगड़ा, सिरमौर और मंडी के कुछ क्षेत्रों में जनगणना का काम किया जाएगा।

प्रगणक घर-घर जाकर राजपत्र में प्रकाशित 40 सवालों के आधार पर परिवार और जनसंख्या से जुड़ी जानकारी दर्ज करेंगे। इससे पहले 17 से 31 अगस्त तक इन क्षेत्रों के लोगों को ऑनलाइन 'स्व-गणना' की सुविधा दी गई थी।

जिन परिवारों ने स्व-गणना पूरी कर ली है, उन्हें प्रगणक के घर पहुंचने पर अपनी स्व-गणना आईडी बतानी होगी। जिन परिवारों ने ऑनलाइन गणना नहीं की है, उनकी जानकारी प्रगणक घर पर ही दर्ज करेंगे।

जनगणना विभाग ने बर्फबारी वाले क्षेत्रों के लोगों से प्रगणकों को सही और पूरी जानकारी देने की अपील की है। विभाग ने बताया कि लोगों की ओर से दी गई जानकारी जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत गोपनीय रखी जाएगी।

जनगणना से जुड़ी जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1855 पर संपर्क किया जा सकता है। विभाग के अनुसार, जनगणना के आंकड़े प्रदेश के विकास और भविष्य की सरकारी योजनाएं बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

ओबीसी प्रमाण पत्र की सालाना बाध्यता हटाने पर विचार

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण बोर्ड की 13वीं बैठक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. धनी राम शांडिल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में ओबीसी वर्ग से जुड़ी विभिन्न मांगों और समस्याओं पर चर्चा की गई।

डॉ. शांडिल ने कहा कि प्रदेश सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पंचायतों, नगर निकायों और नगर निगमों में ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने की व्यवस्था कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में शुरू हुई थी। जरूरत के अनुसार इसमें आगे भी सुधार किए जाएंगे।

बैठक में ओबीसी प्रमाण-पत्र हर साल बनवाने की अनिवार्यता का मुद्दा भी उठा। मंत्री ने कहा कि इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने और बोर्ड की ओर से रखी गई अन्य मांगों व सुझावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा।

तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय स्थानीय निकायों में आरक्षण की व्यवस्था शुरू की गई। उन्होंने कहा कि ओबीसी वर्ग के कौशल से जुड़े लोगों, खासकर मंदिर निर्माण जैसे पारंपरिक काम करने वाले समुदायों को तकनीकी शिक्षा संस्थानों में आरक्षण देने पर सरकार विचार करेगी।

डॉ. शांडिल ने कहा कि प्रदेश सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी वर्गों को मिल रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना, डॉ. वाई.एस. परमार विद्यार्थी ऋण योजना और इंदिरा गांधी सुख सम्मान निधि योजना का भी उल्लेख किया।

बैठक में मुख्य सचिव के.के. पंत, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव सी.पी. वर्मा, निदेशक सुमित खिमटा, ओबीसी कल्याण बोर्ड के सदस्य और विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

नौणी विश्वविद्यालय में शिक्षकों का सम्मान

शिमला/शैल। डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी में शिक्षक दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में कुलपति प्रो.

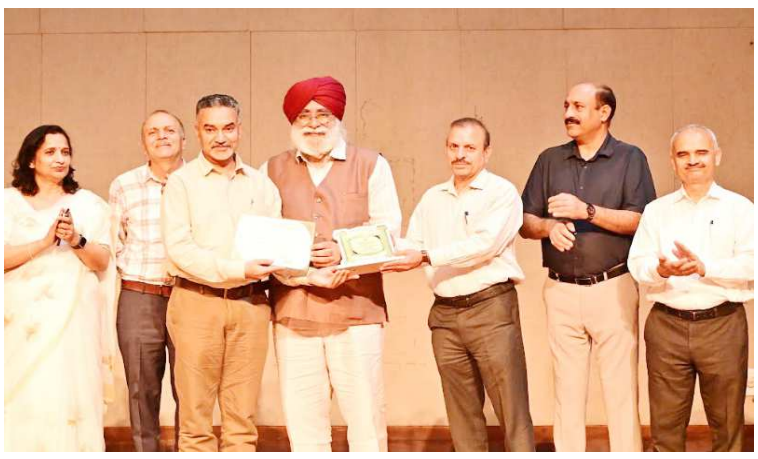

एचएस बवेजा ने शिक्षकों की भूमिका को विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण में महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने शिक्षकों से बदलती जरूरतों के अनुसार अपनी शिक्षण पद्धतियों और विद्यार्थियों के साथ संवाद को बेहतर बनाने का आहवान किया।

समारोह में उत्कृष्ट शिक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए गए। प्रोफेसर वर्ग में डॉ. बीएस डिल्टा और डॉ. रमेश भारद्वाज, सह-प्रोफेसर वर्ग में डॉ. मोनिका शर्मा और डॉ. पीयूष मेहता तथा सहायक प्रोफेसर वर्ग में डॉ. पंकज और डॉ. रोहित शर्मा को सम्मानित किया गया। विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस दौरान एग्री-टेक प्लेटफॉर्म किसानग्राम की टीम ने भी प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई गई।

सहारा योजना के 4,050 लाभार्थी ऑनलाइन सिस्टम में शिफ्ट

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री सहारा योजना के 4,050 सक्रिय और पात्र लाभार्थियों को नई ऑनलाइन व्यवस्था में स्थानांतरित कर दिया गया है। इनमें से 3,958 लाभार्थियों की आधार आधारित ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है। सरकार ने योजना के आवेदन से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने की दिशा में यह कदम उठाया है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने सोमवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए सहारा योजना समेत विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि नई ऑनलाइन व्यवस्था के तहत जुलाई 2026 की सहायता के लिए अब तक 3,723 लाभार्थियों को वित्तीय सहायता जारी की जा चुकी है।

ई-कल्याण पोर्टल पर अब तक 4,143 नए आवेदन भी प्राप्त हुए हैं। इन आवेदनों की योजना के नियमों के अनुसार जांच की जा रही है। पोर्टल आम जनता के लिए लाइव है और पात्र लोग इसके माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

सहारा योजना के तहत बीपीएल और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के चिन्हित गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को हर महीने 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। लंबे इलाज के दौरान परिचारक को भी सहायता दी जाती है।

वित्त वर्ष 2026-27 में योजना के लिए 20.01 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इसमें से अब तक 4.46 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र लाभार्थियों को सहायता समय पर और पारदर्शी तरीके से मिले तथा गंभीर बीमारी के कारण आर्थिक संकट झेल रहे परिवारों पर विशेष ध्यान दिया जाए।

टैक्सियों की उम्र सीमा 15 साल करने की तैयारी

शिमला/शैल। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर हिमाचल के परिवहन से जुड़े कई मुद्दे उठाए। बैठक में टैक्सियों की उम्र सीमा बढ़ाने, वाहनों की फिटनेस जांच और राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़े मामलों पर चर्चा हुई।

उपमुख्यमंत्री ने पर्यटक वाहनों और कॉन्ट्रैक्ट कैरिज वाहनों की अधिकतम उम्र सीमा 12 साल से बढ़ाकर 15 साल करने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाले वाहनों की उम्र सीमा पहले ही बढ़ाई जा चुकी है। इसी आधार पर हिमाचल के कॉन्ट्रैक्ट कैरिज वाहनों को भी राहत देने का आग्रह किया गया।

गडकरी ने इस संबंध में जरूरी अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए। इससे प्रदेश के टैक्सी संचालकों और पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।

अग्निहोत्री ने प्रदेश में ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (एटीएस) की कमी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने बताया कि अभी हिमाचल में केवल दो एटीएस काम कर रहे हैं। उन्होंने मांग की कि पर्याप्त एटीएस बनने तक मैनुअल फिटनेस जांच की व्यवस्था भी जारी रखने की अनुमति दी जाए। गडकरी ने प्रदेश में निर्माणाधीन एटीएस की पूरी जानकारी मांगी है।

बैठक में कीरतपुर-बिलासपुर-मंडी मार्ग पर गति सीमा 60 से बढ़ाकर 80 किलोमीटर प्रति घंटा करने पर भी सहमति बनी।

इसके अलावा पंडोगा से झलेड़ा, ऊना तक अमृतसर-होशियारपुर राष्ट्रीय राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क से जोड़ने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने का आग्रह भी किया गया। अग्निहोत्री ने उम्मीद जताई कि इन मामलों का जल्द समाधान होगा।

सीबीएसई स्कूलों में ड्रेस कोड और खास रंग योजना

शिमला/शैल। हिमाचल के सरकारी सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड, विद्यार्थियों के लिए यूनिफॉर्म और स्कूल भवनों के लिए अलग रंग योजना जल्द तय होगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने शिक्षा विभाग को इस संबंध में जल्द प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग की बैठक में कहा कि शिक्षकों का ड्रेस कोड 1 अक्तूबर 2026 से लागू किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा संचालित सीबीएसई स्कूलों के लिए अलग लोगो भी तैयार किया जा रहा है।

इन स्कूलों में अनुशासन और समय की पाबंदी सुनिश्चित करने के लिए दिन में तीन बार उपस्थिति दर्ज की जाएगी। स्कूल पहुंचने, लंच ब्रेक और छुट्टी के समय हाजिरी होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को उनके घर के नजदीक कम खर्च में गुणवत्तापूर्ण सीबीएसई शिक्षा उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि निजी सीबीएसई स्कूलों की तुलना में सरकारी स्कूलों में शिक्षा सस्ती रखी जाएगी।

सरकार इन स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति पहले ही कर चुकी है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भविष्य में किसी भी शिक्षक का पद खाली होने पर उसे प्राथमिकता के आधार पर भरा जाए, ताकि स्टाफ की कमी से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो।

बैठक में महाधिवक्ता अनूप रतन, शिक्षा सचिव राकेश कंवर, स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कोहली समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

कैन खाद की कमी पर केंद्र से राहत की मांग

शिमला/शैल। हिमाचल में कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट (कैन) उर्वरक की कमी का मामला अब केंद्र सरकार तक पहुंच गया है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा को पत्र लिखकर सेब उत्पादकों के लिए कैन खाद की उपलब्धता जल्द सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।

रोहित ठाकुर ने कहा कि सेब हिमाचल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का बड़ा आधार है। सेब उद्योग से हर साल करीब 6,000 करोड़ रुपये का आर्थिक योगदान होता है और हजारों किसान परिवार इससे जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि सेब के बगीचों के लिए 25 प्रतिशत नाइट्रोजन वाला कैन खाद लंबे समय से भरोसेमंद और अपेक्षाकृत सस्ता विकल्प रहा है।

उन्होंने बताया कि कैन का उत्पादन बंद होने के बाद बागवानों को यूरिया, कैल्शियम नाइट्रेट और एनपीके जैसे दूसरे उर्वरकों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। इनकी कीमत अधिक है और सेब के बगीचों की जरूरत के अनुसार ये विकल्प हमेशा उपयुक्त नहीं हैं।

मंत्री ने कहा कि यूरिया के लंबे समय तक इस्तेमाल से मिट्टी की अम्लता बढ़ने, मिट्टी की संरचना प्रभावित होने और पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। वहीं, सेब के पेड़ों के जल्दी खराब होने और उत्पादन घटने की शिकायतें भी सामने आ रही हैं।

उन्होंने केंद्र से मांग की कि उर्वरक निर्माताओं और संबंधित अधिकारियों को कैन का उत्पादन दोबारा शुरू करने तथा इसकी पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जाएं।

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने जवाब में कहा कि संबंधित विभाग इस मामले की जांच कर रहा है। उन्होंने बागवानों के हितों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया।

रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार सेब उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगी और किसानों को उचित व किफायती कृषि इनपुट उपलब्ध करवाने का प्रयास जारी रहेगा।

विशेषज्ञ डॉक्टरों को एनपीए देने पर विचार, कैंसर इलाज पर 800 करोड़ खर्च

शिमला/शैल। हिमाचल सरकार सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों को नॉन-प्रैक्टिसिंग अलाउंस (एनपीए) देने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग की बैठक में कहा कि डॉक्टरों को बेहतर सुविधाएं देने के साथ चिकित्सा संस्थानों को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बढ़ते कैंसर के मामलों को देखते हुए कैंसर की जांच और उपचार सुविधाओं को मजबूत करने के लिए सरकार 800 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसके लिए विशेषज्ञों की एक समिति बनाई जाएगी, जो भविष्य की कार्ययोजना तैयार करेगी।

सरकार अत्याधुनिक मशीनों और उपकरणों की खरीद भी कर रही है। मुख्यमंत्री के अनुसार, इससे प्रदेश में कैंसर समेत अन्य गंभीर बीमारियों की जांच और इलाज की सुविधा बेहतर होगी।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों और स्वास्थ्य संस्थानों में खाली पदों को चरणबद्ध तरीके से भरा जा रहा है। डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की कमी से मरीजों को परेशानी न हो, इसके लिए भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी।

मुख्यमंत्री ने मेडिकल कॉलेजों के विद्यार्थियों और फैकल्टी को विदेशों के बड़े स्वास्थ्य संस्थानों का एक्सपोजर विजिट करवाने की योजना की भी जानकारी दी। इसका उद्देश्य उन्हें आधुनिक इलाज और नई चिकित्सा तकनीकों से परिचित करवाना है।

सरकार जीन और मॉलिक्यूलर थेरेपी जैसी नई उपचार तकनीकों पर भी आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों के प्रधानाचार्य शामिल हुए।

सड़क सुरक्षा कानून में बदलाव, कारवाई और मरम्मत होगी तेज

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश विधानसभा से पारित हिमाचल प्रदेश सड़क अवसंरचना संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2026 के बाद अब सड़कों की सुरक्षा, रख-रखाव और मरम्मत की व्यवस्था मजबूत होगी। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि संशोधनों से कानून लागू करने की प्रक्रिया तेज और सरल होगी।

संशोधन के तहत सड़कों का डिजिटल और जियो-कोऑर्डिनेटेड नक्शा तैयार किया जाएगा। इससे सड़क की सीमा एक बार तय होने के बाद बार-बार मौके पर जाकर सीमांकन करने की जरूरत नहीं होगी। इससे सड़क किनारे निर्माण से जुड़ी अनुमति और अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने में भी तेजी आएगी।

नए प्रावधानों के तहत सड़क, पुल, नालियों या अन्य सड़क ढांचे को नुकसान पहुंचने पर लोक निर्माण विभाग तत्काल मरम्मत कर सकेगा। नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति से मरम्मत का खर्च और जुर्माना वसूला जाएगा। यदि किसी सड़क या ढांचे से सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा हो तो विभाग तत्काल रोकथाम की कार्रवाई भी कर सकेगा।

जरूरत पड़ने पर किसी सड़क या उसके हिस्से को मरम्मत और सुरक्षा कार्य के दौरान कुछ समय के लिए बंद या प्रतिबंधित भी किया जा सकेगा। इससे जरूरी काम सुरक्षित तरीके से पूरे किए जा सकेंगे।

संशोधन में अपराध से जुड़े नियमों को भी बदला गया है। अब हर छोटी गलती को आपराधिक मामला नहीं माना जाएगा। गंभीर या लगातार नियम तोड़ने के मामलों में ही आपराधिक कार्रवाई होगी। इनमें सरकारी अधिकारियों के काम में बाधा डालना, आदेश के बाद भी प्रतिबंधित गतिविधि जारी रखना, बकाया राशि जानबूझकर जमा न करना और सड़क बंद करने के आदेश का उल्लंघन शामिल हैं।

आम लोगों के लिए आपत्ति और अपील की समयसीमा बढ़ाई गई है। साथ ही सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर स्तर पर अपील की व्यवस्था की गई है।

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि संशोधनों का उद्देश्य सड़कों को सुरक्षित बनाना, मरम्मत समय पर करवाना और अनुमति व कार्रवाई की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जनहितैषी बनाना है।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

कांग्रेस के भीतर खींचतान, बाहर जनता की नाराजगी

मिशन रिपीट के दावे पर जमीन के सवाल

शिमला/शैल। प्रदेश कांग्रेस में बढ़ती अंदरूनी खींचतान अब केवल संगठन का मामला नहीं रह गई है। इसका सीधा असर सरकार की कार्यप्रणाली और जनता के बीच उसकी छवि पर पड़ रहा है। सरकार पांच साल में सभी गारंटियां पूरी करने का दावा कर रही है, मुख्यमंत्री मिशन रिपीट की बात कर रहे हैं और कांग्रेस नेता अगली सरकार भी कांग्रेस की बनने का भरोसा जता रहे हैं। लेकिन जमीन पर दिखाई दे रही तस्वीर इन दावों से बिल्कुल अलग है। जनता सवाल पूछ रही है और सरकार के पास उन सवालों के ठोस जवाब नजर नहीं आ रहे।

सबसे बड़ा संकट यही है कि सरकार के दावों और धरातल की स्थिति के बीच लगातार दूरी बढ़ती जा रही है। जिन गारंटियों और वादों को लेकर कांग्रेस सत्ता में आई थी, उनमें से कितने पूरे हुए और कितने अभी फाइलों में हैं, इसका स्पष्ट हिसाब जनता मांग रही है। महंगाई, रोजगार, कर्मचारियों और पेंशनर्स से जुड़े मुद्दे, छोटे कारोबारियों की परेशानियां और रेहड़ी-फड़ी वालों की समस्याएं सरकार के सामने लगातार खड़ी हैं। ऐसे में केवल उपलब्धियों का प्रचार और मिशन रिपीट का नारा जनता के असंतोष को दबाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।

प्रदेश कांग्रेस संगठन में हालिया घटनाक्रम ने इस संकट को और गहरा कर दिया है। किन्नौर कांग्रेस की कार्यकारिणी भंग किए जाने के बाद जिस तरह पार्टी के भीतर प्रतिक्रियाएं सामने आई, उससे साफ है कि असंतोष केवल निचले स्तर तक सीमित नहीं है। वरिष्ठ नेता जगत सिंह नेगी की प्रतिक्रिया ने भी इस घटनाक्रम को सामान्य संगठनात्मक बदलाव मानने की गुंजाइश कम कर दी है। जब सरकार और संगठन के भीतर ही फैसलों को लेकर सवाल उठने लगें तो इसका संदेश कार्यकर्ताओं और जनता दोनों के बीच जाता है।

आज कई विधायक भी निजी बातचीत में यही सवाल पूछने को मजबूर हैं कि अगली बार वे जनता के बीच आखिर क्या लेकर जाएं। पांच साल का रिपोर्ट कार्ड क्या होगा? किन उपलब्धियों को गिनाकर वोट मांगे जाएंगे? और उन वादों का क्या जवाब होगा, जिनकी उम्मीद में जनता ने कांग्रेस को सत्ता सौंपी थी? यह सवाल जितना सरल है, सरकार के लिए उतना ही गंभीर।

सबसे चिंताजनक बात यह है कि पार्टी के भीतर से समय-समय पर नेतृत्व को जमीनी स्थिति से अवगत कराने की कोशिशें होती रही हैं, लेकिन यदि हाईकमान तक वास्तविक तस्वीर नहीं पहुंच रही या पहुंचने के बावजूद प्रभावी कारवाई नहीं हो रही, तो इसकी कीमत पूरी कांग्रेस को चुकानी पड़ सकती है। किसी भी सरकार के लिए सबसे खतरनाक स्थिति वह होती है जब सत्ता का नेतृत्व अपने आसपास के राजनीतिक असंतोष को कम आंकने लगे और संगठन की चेतावनियों को नजरअंदाज कर दे।

कांग्रेस के सामने अब सबसे बड़ा सवाल मिशन रिपीट का नारा नहीं, बल्कि जनता का भरोसा दोबारा हासिल करना है। सत्ता में वापसी भाषणों, दावों और नारों से नहीं होती। उसके लिए जमीन पर काम, स्पष्ट उपलब्धियां और जनता के साथ लगातार संवाद जरूरी है। यदि कर्मचारी, पेंशनर्स, बेरोजगार, छोटे व्यापारी और रेहड़ी-फड़ी वाले जैसे अलग-अलग वर्ग सरकार से नाराज हैं, तो इसे केवल राजनीतिक विरोध बताकर खारिज करना आत्मघाती भूल होगी।

समय अभी भी कांग्रेस के हाथ में है, लेकिन समय तेजी से निकल रहा है। हाईकमान को यदि प्रदेश की वास्तविक राजनीतिक स्थिति का आकलन करना है तो उसे सरकारी दावों से आगे बढ़कर संगठन, विधायकों और आम जनता से मिलने वाली जमीनी रिपोर्ट पर भरोसा करना होगा। नेतृत्व को यह तय करना होगा कि समस्या को छिपाना है या उसका समाधान करना है।

यदि अंदरूनी खींचतान जारी रही, संगठन कमजोर होता गया और जनता के सवालों का जवाब देने के बजाय सरकार केवल मिशन रिपीट के दावे करती रही, तो अगला चुनाव कांग्रेस के लिए बेहद कठिन हो सकता है। सत्ता बचाना तो दूर, पार्टी सत्ता से कोसों दूर भी जा सकती है। हिमाचल का मौजूदा राजनीतिक माहौल कम से कम इतना संकेत जरूर दे रहा है कि कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। अब देखना यह है कि हाईकमान इस आवाज को सुनता है या फिर चुनावी नतीजे ही उसे जवाब देते हैं।

नेपाल-तिब्बत त्रासदी ने विकास मॉडल पर खड़े किए गंभीर सवाल

पीपल फॉर हिमालय ने बड़े प्रोजेक्टों और सरकारी नीतियों पर मांगी जवाबदेही

शिमला/शैल। नेपाल-तिब्बत में 26 अगस्त को हुई भयावह त्रासदी ने एक बार फिर हिमालय में विकास के नाम पर अपनाई जा रही नीतियों को कठघरे में खड़ा कर दिया है। पीपल फॉर हिमालय ने कहा है कि हर आपदा के बाद राहत, मुआवजे और पुनर्वास की घोषणाओं से सरकारें अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकतीं। असली सवाल यह है कि प्राकृतिक रूप से बेहद संवेदनशील पहाड़ों में बड़े बांध, सुरंगें, सड़कें, जलविद्युत परियोजनाएं और अंधाधुंध निर्माण आखिर किस सोच के तहत लगातार मंजूर किए जा रहे हैं।

संगठन के अनुसार त्रासदी में 900 से अधिक लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 5,000 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। इनमें 288 भारतीय तीर्थयात्रियों का भी उल्लेख किया गया है। संगठन ने कहा कि बढ़ते तापमान, ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने, बर्फबारी के बदलते पैटर्न और पर्माफ्रॉस्ट के कमजोर होने से हिमालय का भूभाग पहले ही ज्यादा अस्थिर हो रहा है। इसके बावजूद निर्माण गतिविधियों का दबाव लगातार बढ़ाया जा रहा है।

पीपल फॉर हिमालय ने सरकारों से सीधा सवाल किया है कि जब वैज्ञानिक लगातार हिमालय की बढ़ती संवेदनशीलता को लेकर चेतावनी दे रहे हैं, तब जोखिम वाले क्षेत्रों में बड़े प्रोजेक्टों को मंजूरी क्यों दी जा रही है? क्या पर्यावरणीय मंजूरियां और आपदा जोखिम आकलन वास्तव में वैज्ञानिक आधार पर होते हैं या विकास के राजनीतिक और आर्थिक दबाव में नियमों को पीछे कर दिया जाता है?

संगठन ने कहा कि आपदा को केवल प्राकृतिक घटना मानना वास्तविक समस्या से आंखें मूंदना है। नदियों के रास्ते बदलना, पहाड़ों को काटना और संवेदनशील ढलानों पर भारी निर्माण भविष्य के खतरे को और बढ़ा सकता है। इसके चलते ऊंचे और अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्रों को बड़े बुनियादी ढांचे के लिए 'नो-गो जोन' घोषित करने की मांग की गई है।

पर्यटन और शहरीकरण पर नियंत्रण, स्थानीय समुदायों की भागीदारी तथा चीन, नेपाल और भारत सहित हिमालयी देशों के बीच वास्तविक समय में आपदा संबंधी सूचना साझा करने की व्यवस्था मजबूत करने की मांग भी उठाई गई है।

अब सवाल सिर्फ यह नहीं है कि अगली आपदा कब आएगी। सवाल यह है कि चेतावनियों के बावजूद जोखिम बढ़ाने वाली नीतियों की राजनीतिक और प्रशासनिक जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर जवाबदेही तय नहीं हुई तो राहत और पुनर्वास का सरकारी चक्र चलता रहेगा और हिमालय बार-बार इसकी कीमत चुकाता रहेगा।

कैग के कटघरे में सुक्खू

.....पृष्ठ 1 का शेष

ओर से यह प्रमाणित नहीं किया गया था कि राशि का इस्तेमाल निर्धारित उद्देश्य के लिए किया गया है। कैग ने ऐसी स्थिति को वित्तीय नियंत्रण के लिहाज से गंभीर माना है।

यह मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि हिमाचल प्रदेश पहले ही वित्तीय दबाव से गुजर रहा है। राज्य का राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा बढ़ा हुआ है तथा राजस्व का बड़ा हिस्सा वेतन, पेंशन और ब्याज जैसे खर्चों में चला जाता है। ऐसे में सरकार के पास उपलब्ध प्रत्येक रुपये के इस्तेमाल और उसके हिसाब की निगरानी महत्वपूर्ण हो जाती है।

सरकार ने दिसंबर 2024 में उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा करने की व्यवस्था में बदलाव भी किया था। नई व्यवस्था के तहत अनुदान प्राप्त करने वाले संस्थानों को राशि के इस्तेमाल के छह महीने के भीतर ऑडिटेड यूसी देना है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में पुराने प्रमाणपत्र लंबित रहना व्यवस्था की प्रभावशीलता पर सवाल खड़ा करता है।

अब सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2,521 लंबित यूसी से जुड़े 3,324 करोड़ रुपये का पूरा हिसाब कब सामने आएगा। किन योजनाओं में पैसा खर्च हुआ, किस एजेंसी ने खर्च किया और उसका प्रमाण क्यों लंबित रहा है इन सवालों का जवाब सरकार को देना होगा।

कैग की रिपोर्ट ने हिमाचल की वित्तीय चुनौती का चेहरा साफ कर दिया है। राज्य की समस्या केवल कर्ज का बढ़ना नहीं है समस्या यह भी है कि कर्ज के बावजूद पर्याप्त उत्पादक परिसंपत्तियां और राजस्व पैदा नहीं हो रहा। यदि इस चक्र को नहीं तोड़ा गया तो आने वाले वर्षों में वेतन, पेंशन और ब्याज के बाद विकास के लिए बचने वाली वित्तीय गुंजाइश और सीमित हो सकती है। अब सरकार को राजनीतिक सफाई से ज्यादा कर्ज, घाटे और खर्च की प्राथमिकताओं पर ठोस जवाब देना होगा।

आने वाले समय में विपक्ष के लिए यह रिपोर्ट सरकार को घेरने का बड़ा आधार बन सकती है। सवाल सीधे हैं जब 81 प्रतिशत राजस्व प्रतिबद्ध खर्च में जा रहा है, तो विकास के लिए पैसा कहां से आएगा? जब नए कर्ज का इस्तेमाल पुराने कर्ज चुकाने में हो रहा है, तो कर्ज का बोझ कब घटेगा? जब करोड़ों रुपये का बजट होने के बावजूद योजनाओं में खर्च नहीं हुआ, तो जवाबदेही किसकी तय होगी?